राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांकः- 12369-12402 दिनांक 1.12.2015

प्रेषितिः-

श्रीमान् अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

समस्त (राज.)

विषय - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.9.2015 में लिए गये निर्णयों की कियान्विति के क्रम में।

महोदय,

निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.92015 में लिए गये निर्णयों की पालना में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

कृपया पूर्व की भाँति अपने न्यायक्षेत्र के सभी कारागृहों पर विधिक जागरुकता टीम को नियमित रूप से भेजकर शिविर आयोजित करें जिनमें विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ अभिवाक सौदेबाजी (Plea Bargaining) तथा राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में बन्दियों को सुझाव दें और उन्हें प्रेरित करें।

आपके न्यायक्षेत्र की बैव साइट पर आपके न्यायक्षेत्र के विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से अपलोड़ कराने की व्यवस्था करायें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संभाग मुख्यालयों पर पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने की एवज में इस कार्यालय द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है लेकिन संभाग स्तरीय प्रशिक्षण के उपरान्त सभी जिला न्यायक्षेत्रों में पैनल अधिवक्तागण को प्रशिक्षण देने के क्रम में प्रत्येक, प्रशिक्षक पैनल अधिवक्ता को एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 3000/- (तीन हजार) रुपये की दर से मानदेय राशि का भुगतान करे। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आने वाले पैनल अधिवक्तागण को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यात्रा व्यय के अलावा प्रतिदिन 500/- रुपये के हिसाब से मानदेय अदा करे। यह भुगतान 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि से किया जावे।

नाल्सा के निर्देश पर राजकीय अवकाश के दिन लोक अदालत आयोजित होने पर भविष्य में लोक अदालत बैंच के न्यायिक अधिकारी सदस्य को एवं लोक अदालत के कार्य में ड्यूटी पर बुलाये गये स्टाफ के कर्मचारियों को एक दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिया जावेगा लेकिन लोक अदालत बैन्च के दूसरे सदस्यों को पूर्व की भाँति 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अवकाश के दिन आयोजित लोक अदालत के मानदेय का भुगतान धारा 4 (सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजट से किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना करें और पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायें।

सादर

भवदीय

(सतीश कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव